देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 205 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...सुरक्षा को लेकर आश्वस्त

देहरादून, बृहस्पतिवार, 18 नवंबर 2021

पेज थ्री

मौसम अधिकतम 24.0° न्यूनतम 13.0° | 40243.39 | 2 अपनों पर क्रूर हुआ चीन | 7 जीत के लिए संतुलन बनाने की जरूरत

ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं करना चाहते

प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सरकारों के रवैये से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्राम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग के पक्ष में है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम की सुविधा देने के साथ-साथ वाहनों में कटौती करने का विकल्प सुझाया था। हरियाणा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। दिल्ली की तरफ से भी यही बात कही गई है। वहीं पंजाब ने कहा कि वो दिल्ली-एनसीआर में नहीं आता है, इसके बावजूद वो दिशा-निर्देशों का पालन करेगा।

ऐक्शन में दिल्ली सरकार

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस संबंध में बुधवार को कई अहम ऐलान किए हैं। गोपाल राय ने कहा है कि राजधानी में 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन और डिमॉलिशन के काम पर रोक होगी। इस तारीख तक सभी सरकारी विभागों में कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। किसी भी सरकारी कर्मचारी को दफ्तर नहीं आना है। इसके साथ ही राय ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर और लाइब्रेरी अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

अब इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर को होगी। कोर्ट ने माना है कि इस मामले में ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं करना चाहते हैं।

कार पूलिंग के पक्ष में केंद्र सरकार

केंद्र ने सुनवाई के दौरान कहा कि कार पुलिंग के जरिए सड़कों पर वाहनों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसका सीधा असर बढ़ते प्रदूषण को घटाने पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनको लेकर मीडिया में गलत बयानबाजी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनमें बताया जा रहा है कि वो पराली जलाने के मामले में कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह की बयानबाजी से गुमराह नहीं होने वाला है। कोर्ट ने साफ कहा कि हमारी सोच पूरी तरह से साफ है, लिहाजा इस तरह की बातों पर ध्यान न दिया जाए।

तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऐसी इंडस्ट्री जो ऊर्जा के लिए ऐसे ईंधन का उपयोग कर रही हैं जिनको मंजूरी नहीं मिली है, को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऐसे उद्योग जहां पर गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प है, उन्हें तुरंत इस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कोर्ट को बताया कि कमीशन ने दिल्ली और एनसीआर के राज्यों के लिए डायरेक्शन भी जारी की है। इसमें ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी उद्योगों को गैस की सुविधा दी जाए और ईंधन के रूप में इसका ही उपयोग किया जाए।

कोर्ट को ये भी बताया गया कि कमीशन फार एयर क्ववालिटी मैनेजमेंट फार दिल्ली एनसीआर ने पड़ोसी राज्यों के चीफ सेक्रेट्री के साथ में बैठक की थी।

इस दौरान राज्यों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि कमीशन ने एनसीआर राज्यों को स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थाओं से आनलाइन क्लासेस कराने का निर्देश दिया है।

केंद्र के बताए 90 फीसद सुझावों पर अमल किया

सुनवाई के दौरान दिल्ली की तरफ से कहा गया कि उन्होंने केंद्र के बताए 90 फीसद सुझावों पर अमल किया है। इस दौरान दिल्ली की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यहां तक कहा कि पराली जलाने की घटनाएं नवंबर में अधिक हुई है। उन्होंने गुजारिश की कि इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जगह टीवी पर प्रदूषण को लेकर डिबेट हो रही है। इसके बावजूद वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और उनका अपना ही मुद्दा या एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को ये भी कहा कि वो प्रदूषण के मुद्दे से न भटकें। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो प्रासंगिक नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भगोड़ा घोषित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने पर मुंबई की एक अदालत ने मुहर लगा दी है। सरकारी वकील शेखर जगताप ने बताया कि अदालत ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। मामलों की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इसकी मांग की थी।

20 माह बाद करतारपुर कारिडोर खुला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

चंडीगढ़। पाकिस्तान स्थित श्री गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए करतारपुर कारिडोर को बुधवार को फिर खोल दिया गया। छह यात्रियों का पहला जत्था डेरा नानक से कारिडोर होकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया।

मेरा एक विचार 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफार्म' का: पीएम

100 साल पूरे होने पर विधानसभा व विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। लोकतंत्र भारत के लिए महज सरकार चलाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय समाज का स्वभाव है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार से शुरू विधानसभा व विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मेरा एक विचार 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफार्म' का है। एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बढ़ावा दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे।

प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा एक विचार 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफार्म' का है। एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बढ़ावा दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे। हमारी नीतियां, कानून भारतीयता के भाव को, 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को मजबूत करने वाले हों। सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार-व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी, एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा, हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है।

बता दें कि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 17 नवंबर और 18 नवंबर दो दिन चलेगा। 100 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का यह 82वां संस्करण है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सम्मेलन का समापन करेंगे।

कुलगाम में सेना ने मार गिराए 5 आतंकी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

श्रीनगर। कश्मीर के कुलगाम जिला में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच दो जगह मुठभेड़ जारी है। कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने एक घंटे के अंदर दो मुठभेड़ों में 5 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पोमबई और गोपालपुरा गांवों में मुठभेड़ में इन आतंकियों को ढेर किया है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर मुठभेड़ जारी है।

स्थानीय पुलिस ने क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षाबलों के सहयोग से संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान एक जगह में छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षाबलों ने सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। आतंकियों ने इसे अनसुना किया और फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है।

मुठभेड़

■लश्कर-ए-तैयबा के दो ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार

अभी तक पांच आतंकियों को ढेर कर दिया गया है।

कश्मीर के आइजी के विजय कुमार ने बताया कि अभी तक जारी दोनों मुठभेड़ में पांच आतंकियों को मार गिरा दिया गया है। सुरक्षाबल अपने काम पर जुटे हैं। जल्द ही अन्य आतंकियों का भी सफाया कर दिया जाएगा। इसी बीच पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले दो ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पहले से तैयार की गई आइईडी भी बरामद हुई हैं।

पुलिस ने बयान करते हुए बताया कि पुलवामा पुलिस ने सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन के साथ नाका लगाया था। इसी दौरान उन्हें दो ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ने में सफलता मिली।

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के चलते पाकिस्तान ने जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है। अब कुलभूषण जाधव उच्च अदालतों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे। पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उन्होंने बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया है वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे।

पाकिस्तान ने लगाए जासूसी के आरोप

इससे पहले जून में पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नैशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को अपनी स्वीकृति दे दी थी। सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी।